प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 3287/2000

याचिकाकर्ता पी. के. मोहनन

विरुद्ध

उत्तरवादीगण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं एक अन्य

दिनांक 12 सितंबर, 2011 को निर्णय एवं आदेश के सुनने के लिए सूचीबद्ध किया जाए

सही /-

माननीय श्री सतीश के अग्निहोत्री

न्यायमूर्ति

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 3287/2000

याचिकाकर्ता पी. के. मोहनन

विरुद्ध

उत्तरवादी गण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं एक अन्य

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका

एकल पीठ : माननीय श्री सतीश के अग्निहोत्री न्यायमूर्ति

उपस्थित:- श्री पी. के. मोहनन, याचिकाकर्ता स्वयं।
डॉ. एन. के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री शैलेन्द्र शुक्ला, अधिवक्ता, उत्तरवादीगण की तरफ से ।

(12 सितंबर, 2011 पारित)

1. वर्तमान याचिका में, याचिकाकर्ता उत्तरवादी क्र.1 के कार्मिक एवं प्रशासन विभाग में ई-0 ग्रेड हेतु आयोजित चयन कार्यवाही को निरस्त करने तथा उत्तरवादी क्र 2 के ई-0 ग्रेड के पद पर चयन को रद्द एवं निरस्त करने की प्रार्थना की है। याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्र.1 को यह भी निर्देश देने की प्रार्थना की है कि उत्तरवादी क्र.2 को पदोन्नत किए जाने की तिथि से

याचिकाकर्ता को ई-0 ग्रेड में पदोन्नत करने पर विचार किया जाए तथा सभी पारिणामिक लाभ प्रदान किए जाएँ।

2. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्य, संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता को प्रथमतः फरवरी, 1980 के माह में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (संक्षेप में 'सेल') के भिलाई स्टील प्लांट (संक्षेप में 'बीएसपी') में निजी सचिव (पीएस) के पद पर नियुक्ति तथा पदभार ग्रहण किया गया था। याचिकाकर्ता का संपूर्ण सेवा अभिलेख स्वच्छ एवं निष्कलंक रहा है। समय के किसी भी पल में उनके विरुद्ध कभी कोई अनुशासनिक कार्यवाही या आपराधिक प्रकरण लंबित या विचाराधीन नहीं रहा। उनको कोई प्रतिकूल गोपनीय चरित्रावली कभी संप्रेषित नहीं की गई। याचिकाकर्ता वर्तमान में दिनांक 31 दिसंबर, 1996 से एस-10 ग्रेड (गैर-कार्यकारी) पद पर कार्यरत है। पदोन्नति की श्रृंखला में, निजी सचिव का अगला पदोन्नति जूनियर एग्जीक्यूटिव (ई-0 ग्रेड) के पद पर है। ई-0 ग्रेड एक कार्यकारी पद है। बीएसपी के समस्त निजी सचिवों का स्थानांतरण/स्थापन, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि, यद्यपि वे विभिन्न अनुभागों में नियुक्त हों, बीएसपी के कार्मिक एवं प्रशासन विभाग द्वारा केंद्रीकृत रूप से संचालित किया जाता है। तदनुसार, बीएसपी के समस्त जूनियर निजी सचिव/निजी सचिवों की पदोन्नति की एक ही सामान्य श्रृंखला है, उनकी नियुक्ती का स्थान निरपेक्ष है। उत्तरवादी क्र 1 ने गैर-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कार्यकारी से कार्यकारी पद (ई-0 ग्रेड) पर पदोन्नति की नीति तैयार की है जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) के समस्त संयंत्र इकाइयों पर लागू है। उक्त नीति का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि उपर्युक्त सेल नीति के अनुसार गैर-तकनीकी कर्मियों की गैर-कार्यकारी से कार्यकारी पद पर ई-0 ग्रेड में पदोन्नति हेतु पात्रता निम्नानुसार है :-

मैट्रिकुलेट : एस-8 एवं उसके ऊपर के ग्रेड में 11 वर्ष।

स्नातक/सनातकोत्तर : एस-8 एवं उसके ऊपर के ग्रेड में 09 वर्ष।

स्नातक/ सनातकोत्तर : एस-8 एवं उसके ऊपर के ग्रेड में 07 वर्ष।

जिनके पास व्यावसायिक योग्यता हो

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. याचिकाकर्ता यह भी तर्क किया कि उत्तरवादी क्र. 2 पूर्व में नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (संक्षेप में 'एनआईएनएल') में कार्यरत था। उत्तरवादी क्र. 2 ने अपनी स्वयं के आवेदन पे एन.आई.एन.एल से बीएसपी में स्थानांतरण का अनुरोध किया था। उक्त स्थानांतरण अन्य संगठन/इकाई/ संयंत्र से हुआ

था और तदनुसार, एक संगठन से दूसरे संगठन में स्थानांतरण की सामान्य नियमावली के अनुसार, ऐसे स्वयं के आवेदन पर स्थानांतरित कर्मचारी की वरिष्ठता नई इकाई/संगठन/संयंत्र में पद ग्रहण होने की तिथि से मानी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, ऐसे स्थानांतरित कर्मचारियों को नई इकाई में पहले से कार्यरत कर्मचारियों के मुकाबले अनुक्रम में सबसे कनिष्ठ माना जाएगा। यह सिद्धांत की पुष्टि उच्चतम न्यायालय द्वारा *रेनू मुलिक बनाम भारत संघ एवं अन्य*[1] प्रकरण में की गई है, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि स्वयं आवेदन पर स्थानांतरण लेने वाले कर्मचारी को नई इकाई में कनिष्ठतम वरिष्ठता प्राप्त होती है, हालांकि पूर्व की सेवाओं को पात्रता निर्धारण के लिए गिना जा सकता है। उत्तरवादी क्र. 2 ने स्वयं के आवेदन कर स्थानांतरण माँगा और 15 फरवरी, 1991 को एल-8/ऐस-8 ग्रेड में बीएसपी में पद ग्रहण किया। तदनुसार, प्रबंधन ने उत्तरवादी क्र. 2 को याचिकाकर्ता से स्थान पर रखा है । यह स्पष्ट रूप से तर्क किया गया है कि याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्र. 2 की वरिष्ठता नहीं बदली है। उत्तरवादी क्र. 2, याचिकाकर्ता के मुकाबले कनिष्ठ था। दिनांक 31 मार्च, 2000 तक, याचिकाकर्ता का नाम वरिष्ठता सूची में क्र. 59 पर था, जबकि उत्तरवादी क्र. 2 का नाम समान सूची में संख्या 61 पर था। अतः याचिकाकर्ता पूरी अवधि के दौरान वरिष्ठता सूची में

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

[1] (1994) 1 SCC 373

उत्तरवादी क्र. 2 से वरिष्ठ था। पर्सनेल मैनुअल के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों या पात्रता के अनुसार, उत्तरवादी क्र. 2 15 फरवरी, 2000 के बाद ई-0 ग्रेड के साक्षात्कार के लिए पात्र हुआ, जबकि याचिकाकर्ता 31 दिसंबर, 1996 से ई-0 साक्षात्कार के लिए पात्र था। दिसंबर, 1999 से, तकनीकी एवं गैर-तकनीकी विभागों के कई पात्र कर्मचारियों का बीएसपी प्रबंधन द्वारा जूनियर एग्जीक्यूटिव (ई-0 ग्रेड) के पद के लिए चयन हेतु साक्षात्कार लिया गया। उत्तरवादी क्र. 1 की विद्यमान दिशानिर्देशों/नीति के अनुसार, कार्यकारी (ई-0 ग्रेड) पद पर पदोन्नति हेतु पात्र गैर-कार्यकारी कर्मचारियों को उनके वरिष्ठता क्रम में रिक्तियों की संख्या के अनुपात 1:3 से साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना आवश्यक था। भिलाई स्टील प्लांट के गैर-कार्यकारी विभाग के अंतर्गत आने वाले कार्मिक एवं प्रशासन विभाग में, जिसमें याचिकाकर्ता कार्यरत है, साक्षात्कार 22/23 मई, 2000 को आयोजित हुआ। साक्षात्कार हेतु कोई लिखित पत्र नहीं भेजे गए और उम्मीदवारों को टेलीफोन पर बुलावा दिया गया। उत्तरवादी क्र. 2 को टेलीफोन कॉल पर प्रबंधन द्वारा साक्षात्कार हेतु बुलाया गया, जबकि याचिकाकर्ता, जो कि पूरी अवधि में उत्तरवादी क्र. 2 से वरिष्ठ था, को ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई। इस असुविधा के कारण याचिकाकर्ता को उच्च वेतन पैकेज, पदोन्नति से जुडी मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि, स्थानीय यात्रा व्यय में वृद्धि, चार पहिया वाहन के लिए

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अग्रिम भत्ता, पत्रिकाओं एवं मैगजीन के लिए भत्ता सहित मौद्रिक नुकसान सहन करना पड़ा।

4. दूसरी ओर, डॉ. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता, और शैलेन्द्र शुक्ला, माननीय अधिवक्ता जो उत्तरवादियों के लिए हैं, ने तर्क किया कि याचिकाकर्ता ने मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा के अंतर्गत श्रम न्यायालय, दुर्ग में प्रकरण क्र. ए-1/78/एम.पी.आई.आर./99 प्रस्तुत किया था, जिसमें श्री सी.जी. उपाध्याय को दिया गया लॉंग सर्विस अवार्ड को चुनौती दी गई थी, जिसे 14 नवंबर, 2002 को खारिज कर दिया गया था (अनुलग्नक आर/1-1)। इसलिए याचिकाकर्ता के पास उत्तरवादी क्र. 2 की पदोन्नति को कनिष्ठ होने के आधार पर सीधे माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने का प्रस्तावित अधिकार नहीं था। उन्हें अपनी शिकायत के निवारण के लिए सबसे पहले मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के तहत श्रम न्यायालय में प्रकरण दर्ज करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया; इसलिए, उनकी माननीय न्यायालय में दायर याचिका असंगत और केवल इसी आधार पर खारिज की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, याचिका समयसीमा तथा लापरवाही के कारण भी प्रतिबंधित है क्योंकि याचिकाकर्ता को वरिष्ठता के प्रश्न को 1991 में चुनौती देनी चाहिए थी, जब उत्तरवादी क्र. 2 ने 15 फरवरी, 1991 को ऐस.ए.आई.एल, बी.ऐस.पी में

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

शामिल हुआ था, न कि 9 वर्षों के पश्चात, जब उत्तरवादी क्र. 2 को ऐस-9 (पी जी) पर 31 दिसंबर 1991 और ऐस-10 पर 31 दिसंबर 1995 को पहले से ही दो बार पदोन्नत किया जा चुका था, जो कि उनके 30 जून 1998 से प्रभावी ई-0 पदोन्नति से पहले की अवधि है। अतः याचिका को इस आधार पर भी खारिज किया जाना उचित है।

5. डॉ. शुक्ला ने आगे यह तर्क किया कि गैर-कार्यकारी से कार्यकारी पद (ई-0) पर पदोन्नति के मामले में कोई नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ। वास्तविक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता उत्तरवादी क्र. 2 से बहुत कनिष्ठ था और 30 जून, 1998 को जूनियर एग्जीक्यूटिव (ई-0) पद के लिए साक्षात्कार हेतु विचारण के लिए पात्र नहीं था क्योंकि उसके पास एस-8, एस-9 एवं एस-10 ग्रेड में कुल नौ वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं हुई थी। यह स्पष्ट किया जाता है कि पात्रता के अनुसार, उत्तरवादी क्र. 2 दिनांक 13 मार्च, 1983 से एस-8 ग्रेड धारण कर रहा था। उत्तरवादी क्र. 2 ने दिनांक 25 जून, 1991 के अपने आवेदन द्वारा यह प्रतिनिधित्व किया था कि उसके पूर्व के 8 वर्ष की सेवा को ध्यान में रखते हुए उसे उच्च ग्रेड प्रदान किया जाए, जो सेवा वह एनआईएनएल में दिनांक 15 मार्च, 1983 से ए-3 ग्रेड में धारण कर रहा था। प्रबंधन ने इसे विचार किया और उसे दिनांक 31 दिसंबर, 1991 से एस-9 ग्रेड (व्यक्तिगत ग्रेड) प्रदान किया गया। उत्तरवादी क्र. 2 को आगे दिनांक 31

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिसंबर, 1995 से निजी सचिव के पद पर एस-10 ग्रेड प्रदान किया गया। अतः उत्तरवादी क्र. 2 को कार्यकारी पद (ई-0) पर पदोन्नति हेतु विचार किया गया क्योंकि उसके पास 30 जून, 1998 को एस-8, एस-9 एवं एस-10 ग्रेड में 9 वर्ष से अधिक सेवा पूरी हो चुकी थी तथा उसे दिनांक 30 जून, 1998 से जूनियर एग्जीक्यूटिव (ई-0) के पद पर पदोन्नत किया गया।

6. इसके बाद तर्क किया गया कि याचिकाकर्ता दिनांक 31 दिसंबर, 1989 से एस-8 ग्रेड में था। उसे बाद में दिनांक 31 दिसंबर, 1992 से एस-9 ग्रेड और दिनांक 31 दिसंबर, 1996 से एस-10 ग्रेड दिया गया। याचिकाकर्ता को ई-0 ग्रेड पर पदोन्नति के लिए पात्र नहीं माना गया क्योंकि उसने 30 जून, 1998 तक एस-8, एस-9 और एस-10 ग्रेड में नौ वर्ष की सेवा पूरी नहीं की थी, जैसा कि कार्यकारी पदोन्नति नीति में निर्दिष्ट है। अधीक्षक (डिज़ल) जो कि उत्तरवादी कंपनी के अधिकारी थे, जिनसे याचिकाकर्ता वर्ष 1983 में जुड़े हुए थे, ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध 07 मार्च, 1983 को टाइपिंग कार्य करने से इंकार करने के लिए चार्जशीट जारी करने का आदेश दिया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया।

7. याचिकाकर्ता वर्तमान में दिनांक 31 दिसंबर, 1996 से एस-10 ग्रेड (गैर-कार्यकारी) में है। हालांकि यह सही नहीं है कि गैर-कार्यकारी से कार्यकारी ई-0 ग्रेड तक पदोन्नति के लिए कोई पदोन्नति का क्रम (एल ओ पी) है। यह

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

तर्क किया गया की यह पूरी तरह से चयन प्रक्रिया पर आधारित है, जो कि उत्तरवादी की कार्यकारी पदोन्नति नीति अनुसार है। गैर-कार्यकारी कैडर से कार्यकारी कैडर में पदोन्नति के लिए नीति स्पष्ट करती है कि कोई वरिष्ठता क्रम नहीं है और पदोन्नति चयन प्रक्रिया द्वारा की जाती है। याचिकाकर्ता ने नौ वर्षों की सेवा की पात्रता शर्त पूरी नहीं की है, इसलिए यह याचिका खारिज की जानी चाहिए। यह तर्क किया गया की याचिकाकर्ता एस-8 ग्रेड में उत्तरवादी 2 से कनिष्ठ है। याचिकाकर्ता को दिनांक 31 दिसंबर, 1989 से एस-8 ग्रेड दिया गया था, जबकि उत्तरवादी 2 दिनांक 15 मार्च, 1983 से एस-8 ग्रेड धारित कर रहा था। यह भी तर्क किया गया कि स्नातक की शिक्षा प्राप्त एवं 30 जून, 1998 तक एस-8, एस-9 एवं एस-10 ग्रेड में नौ या अधिक वर्षों की सेवा पूर्ण कर चुके उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और ई-0 ग्रेड में पदोन्नति हेतु विचार किया गया। इस मामले में, याचिकाकर्ता ने नौ वर्षों की सेवा पूरी नहीं की थी क्योंकि उसे दिनांक 31 दिसंबर, 1989 को एस-8 ग्रेड दिया गया था और वह नौ वर्षों की सेवा केवल 31 दिसंबर, 1998 को पूरी करेगा। चूंकि वह पदोन्नति के लिए पात्र नहीं है, अतः याचिका खारिज की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता की शैक्षणिक योग्यता बी.ए., एल.एल.बी. है और इसलिए उसे ई-0 ग्रेड के पदोन्नति के लिए एस-8 ग्रेड एवं उससे ऊपर नौ वर्षों की नियमित सेवा आवश्यक है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. उत्तरवादी क्र. 2 का स्थानांतरण नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एन.आई.एन.एल) से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (ऐस.ए.आई.एल) में समानांतर आधार पर भिलाई स्टील प्लांट में पदस्थापना के साथ किया गया था, इस शर्त के साथ कि वर्तमान ग्रेड में उसकी वरिष्ठता की गणना उत्तरवादी कंपनी में शामिल होने की तिथि से की जाएगी। ऐस.ए.आई.एल, बी ऐस पी में उसका संविलियन सेवा की निरंतरता के साथ तथा समान ग्रेड में समानांतर स्थानांतरण की शर्तों पर किया गया है। उत्तरवादी क्र. 2 ने ऐस.ए.आई.एल में सहायक (ऐस/टी) के रूप में 26 मार्च, 1973 से राउरकेला स्टील प्लांट में कार्यारंभ किया था, जबकि याचिकाकर्ता ने 05 फरवरी, 1980 को ऐस.ए.आई.एल, बी ऐस पी में सहायक (ऐस/टी) के रूप में ज्वाइन किया था। उत्तरवादी क्र. 2 का स्थानांतरण जून, 1982 में राउरकेला से एन.आई.एन.एल. में किया गया और उसने वहाँ 21 जून, 1982 को कार्यभार ग्रहण किया। बाद में, उत्तरवादी क्र. 2 के ऐस.ए.आई.एल, बी.ऐस.पी में अवशोषण पर विचार किया गया तथा उसे एन.आई.एन.एल. से बी.ऐस.पी में स्थानांतरित किया गया, जहाँ उसने 15 फरवरी, 1991 को एल-8 ग्रेड में कार्यभार ग्रहण किया। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उत्तरवादी क्र. 2 का स्थानांतरण उसकी स्वयं की मांग पर किया गया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता उत्तरवादी क्र. 2 से कनिष्ठ था और इसलिए याचिकाकर्ता का

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

दावा स्वीकार्य नहीं है। उत्तरवादी क्र. 2 ने 30 जून, 1998 तक ऐस-8 ग्रेड एवं उससे ऊपर में 9 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली थी, जबकि याचिकाकर्ता ने ऐस-8 ग्रेड एवं उससे ऊपर में 9 वर्ष की सेवा केवल 31 दिसंबर, 1998 को ही पूर्ण की।

9. डॉ. शुक्ला ने आगे यह तर्क किया कि जहाँ तक साक्षात्कार की सूचना टेलीफोन के माध्यम से देने की बात है, यह उत्तरवादी कंपनी द्वारा स्वीकृत माध्यम है। केवल उत्तरवादी क्र. 2 को ही साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया था, बल्कि कुल 133 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया, जिनमें से 53 उम्मीदवारों को पदोन्नत किया गया ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. याचिकाकर्ता तथा उत्तरवादियों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को भी सुना, तर्क एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

11. तर्क के समय, श्री मोहनन ने तर्क किया कि 29 मई, 2000 के अंतरिम आदेश के परिशीलन से, ई-0 ग्रेड के सभी पदोन्नतियां प्रभावित होंगी क्योंकि 30 जून, 1998 के बाद कुल 1760 व्यक्तियों को ई-0 ग्रेड में पदोन्नत किया गया था। अतः याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्र. 2 के चयन प्रक्रिया और नियुक्ति को अपास्त करने के अनुतोष का त्याग गर दिया है। हालांकि, उन्होंने अपनी याचना को केवल इस अनुतोष तक सीमित रखा कि प्रतिवादी 1 को निर्देश दिया जाए कि वह उत्तरवादी 2 के पदोन्नत होने की तिथि से

याचिकाकर्ता को ई-0 ग्रेड में पदोन्नति पर विचार करे, जैसा कि 02 सितंबर, 2011 को श्री पी.के. मोहनन द्वारा प्रस्तुत लिखित निवेदन से स्पष्ट है।

12. कार्मिक मैनुअल, 1992 के तहत, गैर-कार्यकारी से कार्यकारी कैडर में पदोन्नति की नीति निम्नानुसार प्रदान की गई है:

> 1. नीति: गैर-कार्यकारी कैडर से सभी पदोन्नतियाँ केवल ई-0 के माध्यम से होंगी। प्रशिक्षण पूर्ण करने तथा ई-0 में प्रदर्शन के आधार पर उन्हें ई-1 में रखा जाएगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. उक्त नीति के पैरा 2 में तकनीकी श्रेणी के मामले में ई-0 ग्रेड हेतु पदोन्नति के मानदंड निम्नानुसार दिए गए हैं:

> "ई-0 स्तर पर भरे जाने वाले तकनीकी श्रेणियों के पद निम्नानुसार आरक्षित होंगे:
>
> i) प्रबंधन प्रशिक्षु - ई0/ई1/ई2ए में न्यूनतम 50% रिक्तियाँ।
>
> ii) बी.एससी/डिप्लोमा धारक - ई0/ई1/ई2ए में लगभग 40% रिक्तियाँ।
>
> iii) असाधारण रूप से कुशल मैट्रिकुलेट एवं आईटीआई वाले मैट्रिकुलेट -

ई0/ई1/ई2ए में लगभग 10%

रिक्तियाँ।]

14. उक्त नीति के पैरा 10 में गैर-तकनीकी श्रेणी के मामले में ई-0 ग्रेड हेतु पदोन्नति के मानदंड निम्नानुसार दिए गए हैं:

"अ) पात्रता हेतु न्यूनतम योग्यता किसी भी विषय में स्नातक होना अनिवार्य होगी। तथापि, असाधारण रूप से अच्छे मैट्रिकुलेट को भी विचार में लिया जाएगा। मैट्रिकुलेट की सभी ऐसी पदोन्नतियों हेतु प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी का विशिष्ट अनुमोदन आवश्यक होगा। पी.ए./पी.एस. श्रेणी में न्यूनतम पात्रता योग्यता मैट्रिकुलेशन होगी।

ब) मैट्रिकुलेट हेतु एमएल-3/एमएल-4/एल-8/एल-9 में 11 वर्ष की सेवा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर हेतु 9 वर्ष की सेवा तथा स्नातक या स्नातकोत्तर के साथ व्यावसायिक योग्यता प्राप्त व्यक्तियों हेतु 7 वर्ष की सेवा।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15. यह विवादित नहीं है कि उत्तरवादी क्र. 2 को स्थानांतरण पर बीएसपी की सेवाओं में शामिल होने की तिथि से वरिष्ठता प्रदान की गई थी। उत्तरवादी क्र. 2 के दिनांक 25 जून, 1991 के पत्र (अनुलग्नक आर-1ए) से स्पष्ट है कि उसने 15 फरवरी, 1991 को बीएसपी में शामिल हो गया था तथा वरिष्ठता सूचियों से भी यही परिलक्षित होता है।

16. जूनियर प्राइवेट सेक्रेटरी (एल-8) की प्रायोगिक वरिष्ठता सूची दिनांक 1 जुलाई, 1991 (अनुलग्नक पी/3) तथा पी.एसस. (गैर-कार्यकारी) एस-10 ग्रेड की वरिष्ठता सूची दिनांक 31 मार्च, 2000 (अनुलग्नक पी/4) से स्पष्ट है कि बीएसपी में उत्तरवादी क्र. 2 के एल-8 ग्रेड में प्रवेश के आधार पर वह क्रमांक 38 पर था तथा याचिकाकर्ता क्रमांक 35 पर था तथा एस-10 की वरिष्ठता सूची में याचिकाकर्ता क्रमांक 59 पर तथा उत्तरवादी क्र. 2 क्रमांक 61 पर था। अतः डॉ. शुक्ला का यह तर्क कि उत्तरवादी क्र. 2 याचिकाकर्ता से बहुत वरिष्ठ था तथा उसे बीएसपी की सेवाओं में शामिल होने की तिथि से वरिष्ठता नहीं दी गई थी, तथ्यों के विपरीत है तथा इसे अस्वीकार किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. हालाँकि, वह 15 मार्च, 1983 से एन.आई.एन.एल. में एल-8 ग्रेड में कार्यरत था। उत्तरवादी क्र. 2 को दिनांक 31 दिसंबर, 1991 के आदेश (अनुलग्नक आर/1) द्वारा एल-9 (व्यक्तिगत ग्रेड) के उच्च ग्रेड में स्थानित किया गया

जो 31 दिसंबर, 1991 से प्रभावी था। तत्पश्चात, याचिकाकर्ता को दिनांक 02 जनवरी, 1996 के आदेश (अनुलग्नक आर/2) द्वारा एस-10/एल-10 ग्रेड में नियुक्त किया गया।

18. दूसरी ओर, याचिकाकर्ता को दिनांक 30 दिसंबर, 1989 के आदेश द्वारा एल-8 ग्रेड में नियमित पदोन्नति दिनांक 31 दिसंबर, 1989 से प्रदान की गई। दिनांक 30 जून, 1993 को याचिकाकर्ता को एल-9 का उच्च ग्रेड प्रदान किया गया। तत्पश्चात, दिनांक 30 जून, 1996 को याचिकाकर्ता को आगे एस-10/एल-10 ग्रेड प्रदान किया गया। याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्र. 2 को दिनांक 12 दिसंबर, 1991 से उच्च ग्रेड प्रदान करने पर कोई प्रश्न नहीं उठाया। नीति के अंतर्गत अपेक्षित आवश्यकता एल-9 या एल-10 का उच्च ग्रेड प्रदान करना नहीं, अपितु एल-8/एल-9 में संयुक्त रूप से सेवा के वर्ष थे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

19. उक्त नियमों का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि ई-0 ग्रेड में पदोन्नति हेतु पात्रता मैट्रिकुलेट हेतु एस-8 (एल-8) एवं उसके ऊपर के ग्रेड में 11 वर्ष की सेवा, स्नातक/स्नातकोत्तर हेतु एस-8 (एल-8) एवं उसके ऊपर के ग्रेड में 9 वर्ष की सेवा तथा व्यावसायिक योग्यता सहित स्नातक/स्नातकोत्तर हेतु एस-8 (एल-8) एवं उसके ऊपर के ग्रेड में 7 वर्ष की सेवा है। अतः न्यूनतम स्नातक/स्नातकोत्तर के साथ व्यावसायिक डिग्री सहित 7 वर्ष की सेवा

विचारण हेतु पात्र बनाती है। परिपत्र संख्या एम&आर-1/82, दिनांक 01 जनवरी, 1982 से स्पष्ट है कि विधि, सतर्कता, कार्मिक एवं नगर प्रशासन के कर्मचारियों हेतु एल.एल.बी. डिग्री व्यावसायिक योग्यता क्रमांक 34 पर है।

20. श्री मोहनन का तर्क कि गैर-कार्यकारी से कार्यकारी कैडर में पदोन्नति हेतु नीति के पैरा 10 (अनुलग्नक पी/2) में निर्दिष्ट सेवा के वर्ष बीएसपी में सेवा की वरिष्ठता का अर्थ रखते हैं, प्रासंगिक विचारणीय है। निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता उत्तरवादी क्र. 2 से वरिष्ठ था, जैसा कि ऊपर वर्णित है। दिनांक 23.05.2000 को, अर्थात ई-0 ग्रेड हेतु पदोन्नति के साक्षात्कार की तिथि पर, याचिकाकर्ता के पास 10 वर्ष 4 माह की सेवा थी तथा यदि बीएसपी में सेवा गिनी जाए तो उत्तरवादी क्र. 2 के पास 9 वर्ष 3 माह की सेवा थी। अतः दोनों विचारण हेतु पात्र थे। यह विवाद्यक *रेनू मुल्लिक (सुश्री) बनाम भारत संघ एवं अन्य*[2] मामले में विचारणीय आया था, जहाँ उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि स्थानांतरित कर्मचारी को जिस स्थान पर स्थानांतरित किया गया है, वहाँ वरिष्ठता हेतु नए प्रवेशकर्ता के रूप में माना जाएगा। स्थानांतरित कर्मचारी का पदोन्नति हेतु विचारण तब होगा जब उसे नई जगह पर पर्याप्त वरिष्ठता प्राप्त हो जाए। किन्तु जब कर्मचारी का

[2] (1994) 1 SCC 373

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

विचारण किया जाता है, तो उसकी पूर्व कार्यालय में पूर्व सेवा को पात्रता निर्धारण हेतु अनदेखा नहीं किया जा सकता।

21. *आर.के.सेठी एवं अन्य बनाम ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन एवं अन्य*[3] मामले में, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

> 12... सेवा विधिशास्त्र में 'नेक्स्ट बीलो नियम' यह सुनिश्चित करने हेतु है कि यदि किसी कनिष्ठ कर्मचारी को उसके वरिष्ठ को विचारण किए बिना पदोन्नति प्रदान की जाती है तो वरिष्ठ कर्मचारी उस पदोन्नति हेतु उस तिथि से विचारण का अधिकार दावा कर सकता है जिस तिथि को कनिष्ठ कर्मचारी को पदोन्नत किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. इस प्रकार, वरिष्ठता सूची के अनुसार उत्तरवादी क्र. 2 से वरिष्ठ सभी कर्मचारी विचारण हेतु पात्र थे। हालांकि, उत्तरवादी क्र. 2 की पूर्व सेवा उनके पात्रता निर्धारण हेतु विचार में ली जा सकती थी।

23. उत्तरवादी क्र. 2 निर्विवाद रूप से याचिकाकर्ता से कनिष्ठ थे तथा याचिकाकर्ता से पहले उनके अपग्रेडेशन हेतु विचार किया गया। अतः याचिकाकर्ता को

[3] (1997) 10 SCC 616

उत्तरवादी क्र. 2 के विचारण की तिथि से ई-0 ग्रेड में अपग्रेडेशन हेतु विचारण का हकदार था।

24. डॉ. शुक्ला के अनुसार, विचारण हेतु प्रासंगिक तिथि 30 जून, 1998 थी। याचिकाकर्ता ने एल-8 ग्रेड एवं उसके ऊपर में 9 वर्ष की सेवा केवल 31 दिसंबर, 1998 को पूरी की क्योंकि उसे 31 दिसंबर, 1989 से एल-8 ग्रेड में पदोन्नत किया गया था। चूंकि याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्र. 2 की नियुक्ति के विवाद्यक का त्याग कर दिया है, अतः सेवा के वर्षों की गणना केवल बीएसपी में करनी है या पूर्व नियोजन में भी, इस विवाद्यक में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

25. नीति के अनुसार, व्यावसायिक योग्यता सहित स्नातक को केवल एल-8/एल-9 ग्रेड में 7 वर्ष की सेवा आवश्यक है, अतः याचिकाकर्ता 30.06.1998 को भी विचारण हेतु पात्र था। निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता को उस तिथि को ई-0 ग्रेड हेतु पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया गया। जूनियर प्राइवेट सेक्रेटरी (एल-8) की अस्थायी ग्रेडेशन सूची दिनांक 1.7.1991 (अनुलग्नक पी/3) से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की योग्यता बी.ए. एलएलबी तथा उत्तरवादी क्र. 2 की योग्यता स्नातक है तथा उसके पास कोई व्यावसायिक योग्यता नहीं है।

26. तदनुसार, उत्तरवादी क्र. 1 को निर्देश दिया जाता है कि वह 30 जून, 1998 को याचिकाकर्ता के मामले को ई-0 ग्रेड में पदोन्नति प्रदान करने हेतु विचार करे तथा यदि वह सफल पाया जाता है तो उसे सभी अनुपालनगत लाभों का हकदार होगा।

27. पूर्वोक्त वर्णित आधारों की दृष्टि से, रिट याचिका उपर्युक्त सीमा तक स्वीकार की जाती है।

28. व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

हस्ताक्षरित/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by Shikhar Bakhtiyar